यालय उपखण्ड.....अधिकारी.....कठूमर जिला अलवर

नं. 2/144/19

तारीख रजू.....

चिरजी _____ बनाम _____

प्यारे वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.2019	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायला को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जबाव पेश होने तक पाबंद किया जाता है कि आराजी .ख न. 724, वाके ग्राम चौहरी का नगला तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रहन बेय ना करे । अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 19.09.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 19.09.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) 197 बकुलाय फेरीकेन उप०/P.O साहब अदालत में पेश हो पत्रावली दिनांक 14/10/19 को पेश हो। 31 10/19 पत्रावली आज प्रार्थी के पक्ष पत्र पर अन्तरिम के लिए पेश हुई। प्रार्थी ने मूल दावा के स्थगित करवा लिया है अतः वो अपना प्रा० पत्र 212 भी लगाना नहीं चाहते हैं। पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा० पत्र 212 RTACT प्रार्थी के प्रार्थना के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली निस्तारण योग्य है। मूलवाद के साथ संलग्न है। सुनवाई। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) 14/10/19